EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1408—1412

Dated 15-9-2012

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 227.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग (श्रेणी IV पद) भर्ती नियम, 1973, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग (जिल्दसाज) भर्ती नियम, 1974, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प तथा अनुसंधान प्रभाग [गैस्टेटनर आपरेटर (कनिष्ट) और फराश] भर्ती नियम, 1974 और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण प्रतिदर्श और अनुसंधान प्रभाग (अभिलेख पाल) भर्ती नियम, 1991 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण प्रतिदर्श और अनुसंधान प्रभाग में बहु कार्य कर्मचारीवृन्द के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण प्रतिदर्श और अनुसंधान प्रभाग, बहु कार्य कर्मचारीवृन्द समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **आरंभिक गठन.**—समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग के सभी तत्कालीन नियमित समूह 'घ' कर्मचारी तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बहुकार्य कर्मचारीवृन्द (एम.टी.एस.) परीक्षा 2010 और 2011 के आधार पर तत्पश्चात् भर्ती किए गए बहुकार्य कर्मचारीवृन्द समूह 'ग' पद वेतन बैंड-1+ग्रेड वेतन 1800 रु. में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे। इन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में और उनकी इन नियमों के प्रारंभ से पहले की गयी निरंतर सेवा को प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा की संगणना में लिया जाएगा।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह का करार किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारीवृंद	161* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पदों पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. उप महानिदेशक, समंक विधायन प्रभाग —अध्यक्ष 2. निदेशक, सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/14/2010-प्रशा.-III]

एस. के. राय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2012

G.S.R. 227.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Sample Survey Organisation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division (Class IV posts), Recruitment Rules, 1973, National Sample Survey Organisation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division (Binders), Recruitment Rules, 1974, National Sample Survey Organisation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division [Gestetner Operator (Junior) and Farash], Recruitment Rules, 1974 and National Sample Survey Organisation, Data Processing Division (Record Keeper), Recruitment Rules, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi-Tasking Staff in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Data Processing Division and Survey Design and Research Division, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Data Processing Division and Survey Design and Research Division, Multi-Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Initial Constitution.—All the erstwhile regular Group 'D' employees of Data Processing Division and Survey Design and Research Division and Multi-Tasking Staff subsequently recruited on the basis of Staff Selection Commission Multi-Tasking Staff (MTS) Examination-2010 and 2011 shall be deemed to have been appointed to the post of Multi-Tasking Staff, Group 'C' posts, in Pay Band-1 with Grade pay of Rs. 1800 in accordance with the provisions of these rules and their continuous service in the posts immediately before the commencement of these rules shall be taken into account for the purpose of qualifying service for promotion.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff	161*(2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1800	Not applicable	Between 18 and 27 years. **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Inlands or Lakshadweep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange, shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation from a recognised Board	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/obsorption, grades from which promotion/absorption/transfer to be made
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Composition of Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Deputy Director General, Data Processing Division —Chairman 2. Director, Survey Design and Research Division —Member 3. A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government —Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/14/2010-Admn. III]

S. K. ROY, Under Secy.

MGIPRRND—3503 SPI/12—100 Copies.